सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) का कार्यालय
सीमाशुल्क मुंबई जोन II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन,
न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगड – 400707

दिनांक: 10.09.2020

फ़ा सं: एस/5 सामान्य-02/2010 हिन्दी(पार्ट फ़ाइल)

सेवा में/To,

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य,
All the members of the Official Language Implementation Committee

विषय/Sub: जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, सीमाशुल्क मुंबई जोन II,न्हावाशेवा में दिनांक **31.08.2020** को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त का अग्रेषण संबन्धित। Forwarding of the minutes of OLIC meeting of Jawaharlal Nehru Custom House, Mumbai Customs Zone II, Nhava-Sheva held on **31.08.2020**.

****

महोदय /Sir,

जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, सीमाशुल्क मुंबई अंचल II,न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगड - 400707 में दिनांक **31.08.2020** आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है। संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

Kindly find enclosed a copy of the minutes of the joint meeting of the Official Language Implementation Committee of Jawaharlal Nehru Custom House, Mumbai Customs Zone II, Nhava-Sheva', Uran, Dist. Raigad held on **31.08.2020**. Concerned officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीय,

सलिम कुमार
11/9/20

(टी.पी.सलीम कुमार)
सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क

प्रतिलिपि/Copy to,

1).मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, सीमाशुल्क मुंबई जोन II, न्हवा शेवा को सूचनार्थ।
2).उप निदेशक,क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (प.), केंद्रीय सदन, सी विंग, सी बी डी बेलापुर-614

सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) का कार्यालय
सीमाशुल्क मुंबई अंचल ॥ , जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन,
न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगड , महाराष्ट्र – 400707

फ़ा सं: एस/5 सामान्य-02/2010 हिन्दी

दिनांक : .09.2020

सीमाशुल्क मुंबई, अंचल- II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा, जिला रायगड में दिनांक 31.08.2020 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

****

सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त बैठक दिनांक **31.08.2020** को सायंकाल **5.00** बजे श्री संजय महेंद्रु, आयुक्त (जनरल) की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे ।

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम
1.	एस. के. विमलनाथन	आयुक्त, सीमाशुल्क
2.	सुनील कुमार मल्ल	आयुक्त, सीमाशुल्क
3.	राजेश कुमार मिश्रा	आयुक्त, सीमाशुल्क
4.	अजीत दान	संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क
5.	मनमोहन धीर	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
6.	रूपेश एस सक्सेना	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

बैठक में समिति के सदस्यों के स्वागत के उपरांत कार्रवाई आरंभ की गई ।

पिछली बैठक (26.12.2019) में लिए गए विभिन्न निर्णयों की अनुपालन स्थिति

दिनांक 26.12.2019 की बैठक में सीमाशुल्क अंचल-II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा में कार्यरत सभी आयुक्तालयों (न्हावा शेवा -जनरल, I, II, III, V, ऑडिट, अपील) को राजभाषा नियम 1976, 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करवाने के निर्णय पर कार्रवाई की गई । राजभाषा रोस्टर का निर्माण किया गया और उनके अंतर्गत एन.एस.-V आयुक्तालय, एन.एस.-लेखा परीक्षा, एन एस -I आयुक्तालय को अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, शीघ्र ही अधिसूचना प्राप्त हो जाएगी । बैठक को सूचित किया गया कि शेष आयुक्तालयों की प्रक्रिया हेतु नए रोस्टर तैयार किए जाने शेष हैं । तदनुसार अधिसूचना की कार्रवाई की जाएगी ।

दिनांक 31.08.2020 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय :-

बिन्दु 1 & 2) :

बैठक में दिनांक 4.02.2020 के आदेश के संदर्भ में यह सूचित किया गया कि सीमाशुल्क अंचल-II में आयुक्तालयों के मध्य राजभाषा प्रभारों का विभाजन कर दिया गया है । राजभाषा प्रभार दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के मध्य **हिन्दी-I** (जनरल, एन.एस. II, एन.एस.,-III आयुक्तालय) एवं **हिन्दी–II** (एन.एस.-I , एन.एस. -V, लेखा परीक्षा, अपील आयुक्तालय) निर्धारित कर दिया गया है । चर्चा में राजभाषा फाइलों के संचालन पर निर्णय का बिन्दु प्रस्तुत किया गया । अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि हिन्दी-I में फाइल संचालन व्यवस्था पहले से है जिसमें फाइलों का संचालन कार्मिक एवं स्थापना के उप आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/ अपर आयुक्त एवं आयुक्त महोदय के माध्यम से होता है ।

इस पर बिन्दु 02 को सुझाव स्वरूप प्रस्तुत किया गया कि यदि राजभाषा प्रभारों का 02 भागों में विभाजन कर दिया गया है तो सीमाशुल्क आयुक्तालय (जनरल) के अधीन एक उप राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की जा सकती है जो हिन्दी-II के अंतर्गत आने वाले आयुक्तालयों में राजभाषा कार्यान्वयन कार्य देखेगी । अध्यक्ष महोदय एवं अन्य उपस्थित आयुक्तों ने इस बात का स्वागत किया । अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि एनएस -V आयुक्तालय के अधीन हिन्दी-II फ़ाइल संचालन आदि का कार्य करेगा । हिन्दी II के अंतर्गत आने वाले आयुक्तालयों का फ़ाइल संचालन तदनुसार किया जाएगा ।

(कार्रवाई – हिन्दी अनुभाग, सभी आयुक्तलयों को सूचनार्थ)

बिन्दु 3) :

नराकास (TOLIC) में आयुक्तालयों की सदस्यता के बिन्दु पर बैठक में निर्णय लिया गया कि TOLIC में सीमाशुल्क आयुक्तालय-जनरल ही संयुक्त रूप से सभी आयुक्तालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए नराकास का सदस्य कार्यालय बना रहेगा । सभी आयुक्तालयों को इसकी सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं है । भविष्य में TOLIC को प्रेषित किए जाने वाले आंकड़ों में सभी आयुक्तालयों के आंकड़े शामिल किए जाएँगे ।

(कार्रवाई – हिन्दी अनुभाग)

बिन्दु 4) :

बैठक में राजभाषा बजट के आवंटन के बिन्दु पर बैठक को सूचित किया गया कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2020-2021 हेतु राजभाषा के लिए रुपये 40,000/- की राशि का बजट प्रावधान है । संचालक ने अध्यक्ष महोदय से हिन्दी-I एवं हिन्दी-II के प्रभार बटवारे के संबंध मैं बजट प्रावधानों में बढ़ोत्तरी का बिन्दु रखा । इस पर अध्यक्ष महोदय ने राशि बढ़ाने की संभावना से इंकार किया ।

बिन्दु 5) :

समिति के समक्ष हिन्दी अनुभाग की बैठक व्यवस्था के बिन्दु पर वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि वर्तमान में हिन्दी अनुभाग में कार्मिकों की संख्या की अपेक्षा कक्ष का आकार छोटा है। साथ ही साथ कक्ष में फायर अलार्म प्रणाली एवं इन्वर्टर लगे होने के कारण लगातार अलार्म बजने से हिन्दी अनुभाग को बहुत असुविधा का सामना करना पड रहा है, अतः हिन्दी अनुभाग हेतु अविलंब नए कक्ष की व्यवस्था की जाये । इस पर अध्यक्ष महोदय ने शीघ्र व्यवस्था करने का आश्वासन दिया ।

(कार्रवाई – सी.एच.एस. अनुभाग)

बिन्दु 6) :

सचिवीय सहायता हेतु कर सहायकों की तैनाती के बिन्दु पर समिति को सूचित किया गया कि हिन्दी अनुभाग के अनुरोध पर जुलाई 2020 में हिन्दी अनुभाग में एक कर-सहायक की तैनाती कर दी गई है । राजभाषा प्रभारों के विभाजन के उपरांत हिन्दी-I एवं हिन्दी-II को एक अतिरिक्त कर-सहायक की आवश्यकता है । इस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि वर्तमान में 01 अतिरिक्त कर-सहायक की तैनाती नहीं की जा सकती । दोनों प्रभारों में सचिवीय कार्यों हेतु सिर्फ 01 कर सहायक ही तैनात रहेगा जो हिन्दी-I एवं हिन्दी-II का कार्य आधे कार्य दिवस के आधार पर करेगा ।

(कार्रवाई – हिन्दी अनुभाग, एम.एस.ओ. को सूचनार्थ)

बिन्दु 7) :

हिन्दी पखवाड़े के आयोजन के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि सीमाशुल्क अंचल -II में पखवाड़े से संबन्धित गतिविधियां की जाएँ। सदस्यों ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 महामारी पर समय समय पर जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOPs) को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है और इसके लिए भवन में उपलब्ध सम्मेलन कक्षों में पर्याप्त स्थान है ।

(कार्रवाई –हिन्दी अनुभाग)

बिन्दु 8) :

बैठक को आवश्यक रूप से हिन्दी पुस्तकों की खरीद के सरकारी प्रावधान के संदर्भ में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा ई-पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव एवं ई-सामग्री क्रय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । जिस पर सभी सदस्यों ने अपने मत रखे । इस विषय पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति व्यक्त की ।

(कार्रवाई – हिन्दी अनुभाग, सीएचएस अनुभाग)

बिन्दु 9) :

आगामी हिन्दी विभागीय पत्रिका "शेवा कृति" के तीसरे अंक के प्रकाशन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि पत्रिका में राजभाषा हिन्दी के साथ साथ मराठी भाषा की कृतियों को भी शामिल किया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय ने इस पर सहमति व्यक्त की और दिसंबर माह,2020 तक पत्रिका के प्रकाशन का निर्देश दिया । पत्रिका का ई प्रकाशन किया जाएगा ।

(कार्रवाई – हिन्दी अनुभाग)

अंत में अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए बैठक सांयकाल 06:00 बजे सम्पन्न हुई ।

सलिम कुमार
11/9/20

(टी.पी.सलीम कुमार)
सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क